

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- वसूली/2011-12/195

दिनांक :- 8-2-12

आवासीय अभियन्ता,
राजस्थान आवासन मण्डल,

खण्ड ~~प्र. 1~~ / ~~ख. 1~~ / जयपुर / खण्ड - ~~जोधापुर~~ / खण्ड - ~~पलमफौरा~~ / ~~मालावाड़~~ / खण्ड - ~~जोधापुर~~

विषय :- एक बारीय सूचना भिजवाने बाबत।

- संदर्भ :- 1. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर का परिपत्र क्र. 02 दि. 03.04.11
2. प्रथम स्मरण पत्र वित्तीय सलाहकार का पत्र क्र. 32 दि. 25.05.11
3. द्वितीय स्मरण पत्र आवासन आयुक्त का पत्र क्र. 39 दि. 13.06.11
4. तृतीय स्मरण पत्र आवासन आयुक्त का पत्र क्र. 57 दि. 12.07.11

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र, स्मरण पत्रों एवं दूरभाष द्वारा एक बारीय सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु बड़े ही खेद का विषय है कि उक्त सूचना आज तक प्राप्त नहीं हुई है। ध्यान रहे कि उक्त सूचना अति महत्वपूर्ण हैं तथा आवासों के विरुद्ध मासिक किश्तों एवं लीज राशि की बकाया राशि की गणना हेतु आवासों की एक बारीय सूचना बनाया जाना आवश्यक है। अब तक सूचना प्रस्तुत नहीं करने का कारण स्पष्ट करते हुए वांछित सूचना 29.02.2012 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक पूर्ण व सही सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की दशा में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावगी।

७८
(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिमात्रिका A.C.P. को भेजकर लेख है कि उक्त कार्य खण्ड - कार्यालयों में mail करके एवं वेबसाइट पर भी उक्त सूचना डालने का आदेश करें।

Senior Accounts Officer-II
Rajasthan Housing Board
JAIPUR

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- वसूली / 2011-12 / 155

दिनांक :- 8-2-12

उप आवासन आयुक्त /

राजस्थान आवासन मण्डल,

वृत्त / ~~...~~ प्रथम/द्वितीय पापडूर/वृत्त - IV जोधपुर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर

विषय :- एक बारीय सूचना भिजवाने बाबत।


- संदर्भ :-
1. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर का परिपत्र क्र. 02 दि. 03.04.11
 2. प्रथम स्मरण पत्र वित्तीय सलाहकार का पत्र क्र. 32 दि. 25.05.11
 3. द्वितीय स्मरण पत्र आवासन आयुक्त का पत्र क्र. 39 दि. 13.06.11
 4. तृतीय स्मरण पत्र आवासन आयुक्त का पत्र क्र. 57 दि. 12.07.11

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र, स्मरण पत्रों एवं दूरभाष द्वारा एक बारीय सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु बड़े ही खेद का विषय है कि उक्त सूचना आज तक प्राप्त नहीं हुई है। ध्यान रहे कि उक्त सूचना अति महत्वपूर्ण हैं तथा आवासों के विरुद्ध मासिक किराये एवं लीज राशि की बकाया राशि की गणना हेतु आवासों की एक बारीय सूचना बनाया जाना आवश्यक है। अब तक सूचना प्रस्तुत नहीं करने का कारण स्पष्ट करते हुए वांछित सूचना 29.02.2012 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक पूर्ण व सही सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की दशा में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावगी।

७८

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिक्रिया: A.C.P को गेजकर लोकर है कि उक्त वांछित कामलियों में mail करके एवं वेबसाइट पर भी डालने का आग्रह करें।


Senior Accounts Officer-II (R)
Rajasthan Housing Board
JAIPUR

Sudha
15/2